

जज अदालत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम राजखेड़ा

श्रीकान्ता बनाम हिरमोहर

किस्म मुकदमा दावा नं. 17/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
04/6/18	<p>पत्रावली आज राजस्थ लोक अदालत कैम्प बसईमरे में पेश हुई। कैम्प में पक्षकार उपस्थित आये। पक्षकारों द्वारा कहा गया कि अग्रिम दल द्वारा समझाईश करने पर हमने सहमति से बंटवारा कर लिया है हमारा बंटवारा कर दिया जावे। मौके पर ही पटवारी हल्का को कुरैजात प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा कुरैजात प्रस्ताव पेश किये गये। जिन पर पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान करते हुए बंटवारा किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः हम मुलाबिक कुरैजात प्रस्ताव बंटवारा किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुलाबिक कुरैजात प्रस्ताव इस प्रकार दिखी किया जाता है कि बादीगण मल्लादेवी पत्नी कप्तान सिंह हि. 1/2 कौम राजपुर सा. धारापुरा, श्रीकान्ता पत्नी सुरेशचन्द हि. 1/2 कौम ब्राह्मण सा. कडवा राजखेड़ा वड नं. 20 खातेदार के हिस्से में अ.ख.न. 169 रकबा 0-08 बीघा, किस्म बा.सो. लगान 0-32/- रु., ख.न. 170 रकबा 0-02 बीघा, किस्म बा.सो. लगान 0-08/- रु., ख.न. 171 रकबा 2-16 बीघा, किस्म बा.सो. लगान 2-24/- रु. ख.नं. 173 रकबा 0-10 बीघा, किस्म बा.सो.</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

किसम वा.सो. लगान 0-96/- रु. ख.नं. 176 रुबा 12-12 बीघा किसम वा.सो.लगान 10-08/- रु. ख.नं. 177 रुबा 1-00 बीघा
 किसम वा.सो. लगान 0-80/- रु. कुल कित. 7 कुल रुबा 18 बीघा 12 बिघा कुल लगान 14-88/- रु. स्थित ग्राम सिर्होली तहसील राजखेड़ा रहेगी। उक्त समस्त प्राप्ती SDA शाखा राजखेड़ा में रहन दल रहेगी तथा आ. ख.नं. 104 रुबा 0-16 बीघा किसम वा.प्र. लगान 1-76/- रु. रहेगी। इसी प्रकार अचल सिंह पुत्र नबाब सिंह कैम गूजर सा. देह खातेदार हाल आबाद पुरा भरतसिंह (धूप खरगा) आगरा खातेदार के हिस्से में ख.नं. 149 रुबा 1 बीघा 03 बिघा किसम वा.सो. लगान 0-92/- रु. रहेगी। तहसीलदार राजखेड़ा को उक्तानुसार पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं पचा जिरी लगान के 10 गुणा स्टाम्प पेश होने पर जारी है फरावकी निर्णय राजस्व लोक प्रदालत कैम्प बरकईकारे में सुनाया गया। फरावकी फेराल शुमार लेकर दाखिल दफ्तर में।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अवेबल अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

राजाखेड़ा तहसील की
 राजस्व लोक अवेबल अभियान
 न्याय आपके द्वार-2018
 राजखेड़ा तहसील की
 राजस्व लोक अवेबल अभियान
 न्याय आपके द्वार-2018

आम दिनांक 02-06-2018 को श्रीमान उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा के आदेश से ग्राम सिहौली व जेतपुर पट्टन्या परमाणु सन्ख्या 12/18 श्रीमान् जन्म सिद्धो 2 के आदेश के कब्जे तथा भूमि की किश्म के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है इस प्रकार है। -


1. महादेवी पत्नी नरवानसिंह हि. 1/2 कोम राजपुरा स. धारापुरा श्रीमान् पत्नी सुरेशचन्द्र हि. 1/2 कोम क. स. नरवा राजाखेड़ा वार्ड न. 20 आदेश शास्त्रि SBI शास्त्र राजाखेड़ा मु. वि. क. (अ. न. 104 ग्राम जेतपुर बिल गहन)

ग्राम सिहौली	अ. न.	रकबा	किश्म	मालान
	169	0-08	क. सी.	0.32
	170	0-02	क. सी.	0.08
	171	2-16	क. सी.	2.24
	173	0-10	क. सी.	0.40
	175	1-04	क. सी.	0.96
	176	12-12	क. सी.	10.08
	177	1-00	क. सी.	0.80
बिला-2		18-12	-	14.88
ग्राम जेतपुर	104	0-16	क. 5	1.76
	किला-1	0-16	क. 5	1.76


(2) अचलसिंह पुर नवाबसिंह कोम गुजर स. न. 18 आदेश हाल आबाद पुरा भरतसिंह (धाय खरणा) आगरा आदेश


ग्राम सिहौली	149	1-03	क. सी	0.92
	किला-1	1-03	क. सी.	0.92

विभाजन प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में अग्रिम काफवाही हेतु पेश है।


उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)


 12/18


 12/18
तहसीलदार (भू. अ.)
 धौलपुर


 02-06-2018
 उपखण्डाधिकारी